बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 304887 पटना, दिनांक 21-03-17

सं०सं०-ग्रा०वि०वि०-L/स्था०(प्रशि०सं०)-43/2013.

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक
बिहार ।

विषय :- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत Bare Foot Technician के पदस्थापना हेतु दिशा निदेश ।**

महाशय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मास्टर सर्कूलर 2016-17 के अनुसूची 2.5.6 के अनुसार, जो अप्रैल 2016 से लागू है, में मनरेगा के अंतर्गत अनुमान्य कार्यो के लिए प्राक्कलन निर्माण, ले-आउट, पर्यवेक्षण, मापपुस्त में प्रविष्टि एवं सर्वेक्षण के लिए अभियंताओं की कमी को ध्यान में रखते हुए Bare Foot Technician (BFT) रखे जाने का प्रावधान है, ज़िसके आलोक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत सभी जिलों में Bare Foot Technician के पदस्थापना का निर्णय लिया गया है जिसके लिए अर्हता, कर्तव्य, दायित्व, पारिश्रमिक एवं पदस्थापना की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

2. **BFT का पदस्थापन की प्रक्रिया (Deployment of BFT) :-**

I. BFT के पदस्थापन के पूर्व उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्रखण्ड में पदस्थापित पंचायत तकनीकी सहायकों की उपलब्धता, जारी कार्यो, सक्रिय जॉब कार्ड की समीक्षा कर आकलन किया जाएगा कि वह ससमय अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाने में सक्षम है अथवा नहीं । यदि आकलन में पाया जाता है कि उपलब्ध तकनीकी पदाधिकारी प्रर्याप्त संख्या में नहीं है तो उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक से अनुमोदन प्राप्त कर विभिन्न प्रखण्डों में BFT को पदस्थापित किया जा सकता है ।

II. प्रखंड स्तर पर प्रति पंचायत तकनीकी सहायक पर औसत जॉब कार्ड धारी की संख्या की गणना प्रखण्ड में सक्रिय जॉब कार्ड सं0 को प्रखण्ड में पदस्थापित पंचायत तकनीकी पदाधिकारी के संख्या से भाग देकर की जा सकती है । इसके आधार पर प्रखण्ड में BFT की संख्या का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जा सकता है -

	प्रखंड स्तर पर प्रति पंचायत तकनीकी सहायक पर औसत जॉब कार्ड की संख्या	BFT की संख्या
क	2500 से कम	शून्य
ख	2500 से 4000	1
ग	4000 से 5500	2
घ	5500 से 8000	3

नीचे तिथि युक्त स्वच्छ हस्ताक्षर करना । पंचायत तकनीकी सहायक और/ अथवा बी0एफ0टी0 द्वारा की गयी मापी का सत्यापण पूर्व की भांति कनीय अभियंता/ सहायक अभियंता द्वारा किया जायेगा ।

VIII. पंचायत कार्यालय में तकनीकी अभिलेखो का संधारण करने में पंचायत रोजगार सेवक का सहयोग करना ।

IX. कार्यस्थल पर मनरेगा मार्गदर्शिका के अनुसार मजदूरों को आवश्यक सुविधाएं उपलबध कराना ।

X. कार्यो के कार्यान्वयन के दौरान सुरक्षा एवं उपर्युक्त उपकरणों का प्रयोग सुनिश्चित करना ।

XI. कार्यो से संबंधित सामग्री की गुणवत्ता एवं सही मात्रा/अनुपात सुनिश्चित करवाना ।

XII. पंचायत तकनीकी सहायक के अनुपस्थिति में BFT द्वारा कनीय अभियंता के मार्ग दर्शन में पंचायत तकनीकी सहायक के लिए निर्धारित कार्यो का सम्पादन करना ।

XIII. कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित अन्य कार्य ।

6. **<u>BFT का मूल्यांकन :-</u>**

I. BFT के नियंत्रण पदाधिकारी कार्यक्रम पदाधिकारी होगें ।

II. कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक छमाही पर BFT द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा तथा उनका प्रतिवेदन उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक को समर्पित किया जायेगा ।

III. उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अगर किसी BFT का मूल्यांकन प्रतिवेदन असंतोषजनक रहा तो उन्हें चेतावनी देते हुए 6 माह में सुधार लाने का निदेश दिया जायेगा । अगर एक चेतावनी के बाद उनमें अनुकूल सुधार नहीं पाया गया तो उन्हें प्रतिकूल टिप्पणी के साथ हटा दिया जायेगा ।

IV. अनुशासन भंग करने, इमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करने की स्थिति में कार्यक्रम पदाधिकारी के अनुशंसा पर उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा संतुष्ट होने पर BFT का अनुबंध समाप्त किया जा सकता है ।

7. **<u>BFT का भुगतान एवं राशि :-</u>**

I. BFT के मानदेय का भुगतान मासिक रूप से उनके बैंक खाते में e-FMS के माध्यम से सामग्री मद से किया जायेगा ।

II. BFT को प्रतिमाह रू0 6000 की दर से पारिश्रमिक भत्ता का भुगतान किया जायेगा ।

III. BFT का मानदेय का भुगतान मनरेगा अंतर्गत पंचायत तकनीकी सहायक/ BFT के मानदेय भुगतान हेतु सामग्री मद में आवंटित राशि (योजना पर व्यय की गयी राशि का 1%) से की जाएगी ।

कृपया उपर्युक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

17/3/2017

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव ।